FORM NO. ...

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विभिन्न पत्र संख्या 143A/2024

2024/398

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी बनाम अप्रार्थी नाथूसिह

किस्म मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.09.2024	तहसीलदार लूणी के पत्र कमांक/राजस्व/2024/441 दिनाक 15.04.2024 के द्वारा प्रकरण प्राप्त हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी होकर पत्रावली दिनाक 23.09.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	
23.09.2024	पत्रावली पेश हुई पत्रावली इन्तजार तलबी वास्ते पत्रावली दिनांक 07.10.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	
07.10.2024	पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि पर मेरे द्वारा किसी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया जा रहा है बल्कि मैने मेरी भूमि को कृषि आधारित उधोग हेतु संपरिवर्तन करवाने के लिए धारा 90ए भू.राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही जोधपुर विकास प्राधिकरण मे कर रखी जिसमे जोधपुर विकास प्राधिकरण मे धारा 90ए के तहत विचाराधीन है उक्त कार्यवाही की पत्रावली दिनांक 22.12.2021 को जेडीए कार्यालय मे जमा करावा दी गई है इस आधार पर धारा 177 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही को समाप्त किया जाना का निवेदन किया गया । अतः–तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थी के जबाव के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	